

जनपद कानपुर देहात में पुखराया-घाटमपुर-बिन्दकी मार्ग (SH-46) किमी 0-22 तक 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृणीकरण में प्रस्तावित निर्माण से प्रभावित 20.631 हे० संरक्षित वनभूमि के दोगुने अवनत वनभूमि 41.262 हे० अर्थात् 42.00 हे० पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, लखनऊ के पत्रांक 526/11-सी (क्षतिपूरक वनीकरण) दिनांक 09.09.2016 के क्रमांक 06 द्वारा निर्गत अनुसूचित दरें एवं 6.875 प्रतिशत सेन्टेज चार्जेज जोड़ते हुए वनीकरण कार्य हेतु व्यय का सारांश (रु० 174 प्रतिदिन मजदूरी के आधार पर)

| क्रमांक | कार्य का विवरण                                | मात्रा | इकाई      | दर (रु० में 6.875 सेन्टेज चार्जेज सहित) | धनराशि (रु० में) | अनुवर्ती वर्षों में 10% की वृद्धि के पश्चात धनराशि रु० में |
|---------|-----------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                             | 3      | 4         | 5                                       | 6                | 7                                                          |
| 1       | प्रथम चरण अग्रिम मृदा कार्य                   | 42.00  | प्रति हे० | 67545                                   | 2836890          | 3120579                                                    |
| 2       | द्वितीय चरण वृक्षारोपण कार्य                  | 42.00  | प्रति हे० | 103241                                  | 4336133          | 4769746                                                    |
| 3       | तृतीय चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण (प्रथम वर्ष)    | 42.00  | प्रति हे० | 29861                                   | 1254157          | 1379572                                                    |
| 4       | चतुर्थ चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण (द्वितीय वर्ष) | 42.00  | प्रति हे० | 29820                                   | 1252451          | 1517530                                                    |
| 5       | पंचम चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण (तृतीय वर्ष)     | 42.00  | प्रति हे० | 25896                                   | 1087624          | 1669283                                                    |
| 6       | षष्ठ चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण (चतुर्थ वर्ष)    | 42.00  | प्रति हे० | 10242                                   | 430157           | 1836211                                                    |
| 7       | सप्तम चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण (पंचम वर्ष)     | 42.00  | प्रति हे० | 10973                                   | 460860           | 2019832                                                    |
| 8       | अष्टम चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण (षष्ठ वर्ष)     | 42.00  | प्रति हे० | 8883                                    | 373105           | 2221815                                                    |
|         | योग                                           |        |           |                                         |                  | 18534568                                                   |

अर्थात् रु०

18434600.00

(*Signature*)  
 प्रभागीय वनाधिकारी  
 कानपुर देहात वन प्रभाग  
 कानपुर देहात *15/11/17*

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
पत्रांक -526 /11-सी- क्षतिपूरक वनीकरण, दिनांक, लखनऊ, सितम्बर 09, 2016

सेवा में,

1. समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, उत्तर प्रदेश।

विषय- वर्ष 2016-17 के लिए क्षतिपूरक वनीकरण की दरों का निर्धारण।

संदर्भ- नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक-2115/11सी-क्षतिपूरक वनीकरण, दिनांक 01.04.2016

महोदय,

वर्ष 2016-17 में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा जारी दरें वृक्षारोपण की सामान्य पारम्परिक प्रचलित प्रणाली के लिए निर्धारित हैं। उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार वर्तमान में 8' से 12' के पौधों का रोपण कराया जाना होता है तथा भारत सरकार के निर्देशानुसार वृक्षारोपण कार्यों का अनुरक्षण 7 से 10 वर्षों तक कराया जाना है ताकि वृक्षारोपण की शत प्रतिशत सफलता सुनिश्चित की जा सके। अतः उक्त दरों में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया। इस परियोजनार्थ अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों को दृष्टिगत रखते हुये याचक विभागों से क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य के लिये धनराशि मांगे जाने के प्रयोजन से विभिन्न माडलों हेतु क्षतिपूरक वनीकरण की सीलिंग दरों का निर्धारण एतदानुसार संलग्न कर प्रेषित किया जाता है। ये दरें श्रमिकों की मजदूरी दर रु0 174 /- प्रति मानव दिवस पर निर्धारित की गई है। उक्त दरें तत्कालिक प्रभाव से प्रभावी होगी।

उक्त आदेश प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ के अनुमोदन के उपरान्त जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

सिबदीय

(अरविन्द गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन अनुभाग-2, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त क्षेत्रीय/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।

(अरविन्द गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
उ0प्र0, लखनऊ।

क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु सीलिंग दरें (श्रमिक मजदूरी दर रू0 174/- प्रति मानव दिवस पर आधारित)

वर्षवार धनराशि का विवरण (धनराशि रू0 में)

| क्रमांक | वृक्षारोपण का प्रकार                                                                                                                          | प्रथम वर्ष        | द्वितीय वर्ष | तृतीय वर्ष    | चतुर्थ वर्ष     | पंचम वर्ष     | षष्ठम वर्ष     | सप्तम वर्ष   | अष्टम वर्ष    | नवम वर्ष      | दशम वर्ष      | एकादशम      | योग    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------|
|         |                                                                                                                                               | अग्रिम मृदा कार्य | वृक्षारोपण   | अनुक्षण प्रथम | अनुक्षण द्वितीय | अनुक्षण तृतीय | अनुक्षण चतुर्थ | अनुक्षण पंचम | अनुक्षण षष्ठम | अनुक्षण सप्तम | अनुक्षण अष्टम | अनुक्षण नवम |        |
| 1       | सामान्य भूमि (1100 पौध प्रति है0)                                                                                                             | 26780             | 24050        | 16841         | 16614           | 17998         | 7173           | 20061        | 9072          | 9639          | 3060          | 3230        | 154518 |
| 2       | ऊसर भूमि (2000 पौध प्रति है0)                                                                                                                 | 55050             | 56350        | 19998         | 21387           | 23169         | 7299           | 30321        | 10512         | 11169         | 4680          | 4940        | 244875 |
| 3       | बीहड़ भूमि (1100 पौध प्रति है0)                                                                                                               | 32800             | 17930        | 15422         | 16936           | 18348         | 7147           | 20032        | 9072          | 9639          | 3060          | 3230        | 153816 |
| 4       | पठारी भूमि (1100 पौध प्रति है0)                                                                                                               | 34000             | 16030        | 15048         | 16795           | 18194         | 6981           | 19855        | 9072          | 9639          | 3060          | 3230        | 151904 |
| 5       | 8 से 12 फुट पौध ब्लाक वृक्षारोपण आर0सी0सी0 खम्भे व काटेंदार तार से घेरबाड़ सहित सामान्य भूमि (सिंचाई हेतु बोरिंग प्राविधान) 625 पौध प्रति है0 | 57780             | 94240        | 27940         | 27902           | 24230         | 9583           | 10267        | 8312          | -             | -             | -           | 260254 |
| 6       | 8 से 12 फुट पौध ब्लाक वृक्षारोपण आर0सी0सी0 खम्भे व काटेंदार तार से घेरबाड़ सहित ऊसर भूमि (सिंचाई हेतु बोरिंग प्राविधान) 625 पौध प्रति है0     | 63200             | 96600        | 27940         | 27902           | 24230         | 9583           | 10267        | 8312          | -             | -             | -           | 268034 |
| 7       | 8 से 12 फुट पौध ब्लाक वृक्षारोपण आर0सी0सी0 खम्भे व काटेंदार तार से घेरबाड़ सहित पठारी भूमि (सिंचाई हेतु बोरिंग प्राविधान) 625 पौध प्रति है0   | 55070             | 94430        | 27940         | 27902           | 24230         | 9583           | 10267        | 8312          | -             | -             | -           | 257734 |
| 8       | 8 से 12 फुट पौध ब्लाक वृक्षारोपण आर0सी0सी0 खम्भे व काटेंदार तार से घेरबाड़ सहित सामान्य भूमि (ट्रैक्टर द्वारा सिंचाई) 625 पौध प्रति है0       | 50390             | 104580       | 43120         | 38882           | 28650         | 9513           | 10192        | 8232          | -             | -             | -           | 293559 |
| 9       | 8 से 12 फुट पौध ब्लाक वृक्षारोपण आर0सी0सी0 खम्भे व काटेंदार तार से घेरबाड़ सहित ऊसर भूमि (ट्रैक्टर द्वारा सिंचाई) 625 पौध प्रति है0           | 55800             | 110400       | 43120         | 38882           | 28650         | 9513           | 10192        | 8232          | -             | -             | -           | 304789 |
| 10      | 8 से 12 फुट पौध ब्लाक वृक्षारोपण आर0सी0सी0 खम्भे व काटेंदार तार से घेरबाड़ सहित पठारी भूमि (ट्रैक्टर द्वारा सिंचाई) 625 पौध प्रति है0         | 47680             | 104780       | 43120         | 38882           | 28650         | 9513           | 10192        | 8232          | -             | -             | -           | 291049 |

Contd --- P. 2